(29)

संशोधन

संख्या /12–XIX–2/19 खाद्य/2012

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 1 जून, 2012**

विषयः– राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड के कार्यालय भवन के किराये स्वीकृति का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या संख्या244 /12–XIX–2/19 खाद्य/2012 दिनांक 31 मई, 2012 के संदर्भ में जारी शासनादेश के क्रम में अपने पत्र संख्या 587/रा0आ0उ0स0 दिनांक 01.06.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि भवन स्वामी द्वारा जारी उक्त शासनादेश के बिन्दु सं0 04 एवं 05 को स्वीकार न किये जाने पर उक्त शासनादेश को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के बिन्दु सं0 4 एवं 5 को इस सीमा तक शिथिल किया जाता है कि **स्वीकृति किराया बृद्धि पर तभी विचार किया जायेगा जबकि शासकीय दरों में बृद्धि की गयी हो इससे पूर्व कदापि किराया बृद्धि पर विचार किया जाना मान्य नही होगा, इस आशय का अनुबन्ध पत्र भवन स्वामी से यह लिखित रूप में प्राप्त करा लिया जाय तथा साथ ही बिन्दु सं0 05 को इस सीमा तक शिथिल किया जाता है कि भवन स्वामी के साथ किराया सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र 05 वर्ष के स्थान पर जब तक भवन विभाग द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है तब तक 11–11 माह का अनुबन्ध पत्र प्राप्त कर लिया जाय इस पर भवन स्वामी द्वारा किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही अथवा अन्य दावों पर कोई शिथिलीकरण की आवश्यकता प्रतीत नही होती है**

अतः शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित पढा एवं समझा जायेगा।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव

MR-SPM 029

संख्या 246 /11–XIX–2/19 खाद्य/2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा देहरादून।
2. निदेशक, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5. समन्यक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन) 01/6/12
सचिव